

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ-(88) प्रशा.नि./योजना/विकास/2018/36)

दिनांक:- 3-4-2018

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

.....।

विषय:-मेडिकल कॉलेजो को हस्तान्तरित होने वाले चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों के हस्तान्तरण के क्रम में।

संदर्भ:-निदेशालय के पत्र क्रमांक: 298 दिनांक 15.3.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में पूर्व में आपको अवगत कराया गया था कि वित्तीय सलाहकार, मु0 की अ0टि0 क्रमांक ए-4/लेखा/ प्रतिबद्ध/ 2017-18/474 दिनांक 02.02.2018 के तहत विभाग की बीएफसी (राज्य निधि प्रतिबद्ध मद) एवं राज्य निधि मद मीटिंग कमश: दिनांक 08.11.2017 एवं 05.01.2018 को उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग के कक्ष में आयोजित की गई थी।

वर्ष 2018-19 हेतु बजट प्रावधान संबंधित मेडिकल कॉलेज के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया है। इस क्रम में आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निम्न चिकित्सालयों हेतु विभाग के नियन्त्रणाधीन राज्य निधि प्रतिबद्ध एवं राज्य निधि के लेखा मदों में बजट प्रावधान नहीं किया गया है। जो निम्नप्रकार है:-

क्र.सं.	मेडिकल कॉलेज के नियन्त्रणाधीन चिकित्सालय का नाम	जिला
1	सेठी कॉलोनी सैटेलाईट अस्पताल जयपुर	जयपुर
2	कांठिया अस्पताल जयपुर	
3	बनीपार्क सैटेलाईट अस्पताल जयपुर	
1	जिला चिकित्सालय पावटा राजकीय सैटेलाईट	जोधपुर
2	राजकीय चिकित्सालय महिलाबाग	
3	सैटेलाईट अस्पताल चौपासनी हाउसिंग बोर्ड	
4	प्रतापनगर सैटेलाईट अस्पताल	
5	शिवराम नत्थूराम टोंक चिकित्सालय मण्डोर	
1	श्री खेमराज कटारा राजकीय सैटेलाईट अस्पताल	उदयपुर
2	सुन्दर सिंह भण्डारी सैटेलाईट अस्पताल	
1	गंगाशहर सैटेलाईट अस्पताल	बीकानेर
2	जिला अस्पताल सैटेलाईट	
1	सैटेलाईट जिला चिकित्सालय	अजमेर
1	सैटेलाईट जिला चिकित्सालय रामपुरा	कोटा

अतः उक्त चिकित्सालयों में समस्त पदों की बजट मद अनुसार सूचना सॉफ्ट एवं हार्डकॉपी में ई-मेल आईडी पर आज ही भिजवावें ताकि दिनांक 1.4.18 से संबंधित मेडिकल कॉलेज को हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को भिजवाये जा सके।

संयुक्त निदेशक (योजना)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ-(88) प्रशा.नि./योजना/विकास/2018/361

दिनांक:- 3-4-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया/प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
2. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार मु0।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा
6. प्रभारी सर्वर रूम मु0 को भेजकर लेख है कि इस पत्र को विभागीय वैबसाईट एवं संबंधित पीएमओ को मेल आईडी पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक (योजना)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर